वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 अप्रैल 2016-वैशाख 9, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH,

PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

(ORIGINAL JURISDICTION)

COMPANY PETITION NO. 05 OF 2016

In the matter of the Companies Act, 1956 (1) of 1956;

AND

In the matter of Sections 100 to 103 of the Companies Act, 1956;

AND

Mahan Coal Limited, **Petitioner**

Regd. Office at 489, Parihar House,

Majankhurd, Majan More, P.O. Kachni, Waidhan,

Distt -Singrauli, Waidhan, 486886-M.P.

NOTICE OF PETITION

A Petition under section 100 to 103 of the Companies Act, 1956 for confirming the reduction of the paid-up capital from Rs. 3,915,000,000 (Rupees Three Hundred Ninety One Crore Fifty Lacs only) divided into 39,15,00,000 (Thirty Nine Crore Fifteen Lacs) equity shares, of Rs. 10/- (Rupees Ten) each, fully paid up to Rs. 1,905,000,000 (Rupees One Hundred Ninety Crore Fifty Lacs only) divided into 19,05,00,000 (Nineteen Crore Five Lacs only) equity shares of Rs. 10/- each, fully paid up and the surplus amount, i.e. 2,010,000,000 (Rupees Two Hundred and One Crore only) , being in excess of the wants of the company be paid to the shareholders of the above Petitioner Company, was presented by the Advocate of the Petitioner Company on

31.03.2016 and on hearing the Hon'ble Court was pleased to direct for the publication of notice vide Order dated 04.04.2016 Petition will come for hearing after four weeks i. e. on 04 May, 2016.

Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send to the Petitioner at its office above or to their Advocate notice of such intention signed by him or his advocate so as to reach not later than 2 days before the date of hearing of the Petition. Any affidavit intended to be used in opposition to the Petition should be filed in the Hon'ble Court and a copy be served on the Petitioner or their Advocate. A copy of the petition will be furnished by the Company or undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

B. M. MAHESHWARI,
Advocate for the Petitioner,
225, Milinda Manor, II Floor,
Opp. Central Mall, 2. R. N. T. Marg, .
Indore 452001 (M.P.)

Jabalpur,
Dated : 11-04-2016.

(42-B.)

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अवयस्क पुत्री तान्या श्रीमाली व पिता प्रदीप श्रीमाली के नाम चमेलीदेवी पब्लिक स्कूल, इन्दौर के अभिलेख में भूल व त्रुटिवश सरनेम श्रीमाली (Shrimali) लिखा गया है जिसे बदलकर माली (Mali) कर लिया है. अतः चमेलीदेवी पब्लिक स्कूल, इन्दौर में मेरी पुत्री व पिता के नाम के पश्चात् सरनेम श्रीमाली के स्थान पर माली (Mali) पढ़ा जावे. सो विदित होवे.

पुराना नाम :

(प्रदीप श्रीमाली)

नया नाम :

(प्रदीप माली)
248-बी, सूर्यदेव नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड,
इन्दौर (म.प्र.).

(36-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अवयस्क पुत्री तान्या श्रीमाली के स्कूल चमेलीदेवी पब्लिक स्कूल, इन्दौर के अभिलेख में भूल व त्रुटिवश माता का नाम कंचन श्रीमाली (Shrimali) लिखा गया है जिसे बदलकर कंचन माली (Mali) कर लिया है. अतः चमेलीदेवी पब्लिक स्कूल, इन्दौर में माता कंचन श्रीमाली के नाम के स्थान पर कंचन माली (Mali) पढ़ा जावे. सो विदित होवे.

पुराना नाम :

(कंचन श्रीमाली)

नया नाम :

(कंचन माली)
248-बी, सूर्यदेव नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड,
इन्दौर (म.प्र.).

(35-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम छिंगा-छगन गुर्जर था. अब वर्तमान में मेरा नाम जगदीश पिता गुलाब सिंह गुर्जर हो गया है. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(छगन गुर्जर)

नया नाम :

(जगदीश गुर्जर)
11/6, परदेशीपुरा, इन्दौर..

(38-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, उषा अग्रवाल पति श्री रोशन अग्रवाल, उम्र 44 वर्ष, निवासी-2213, राईट टाउन, प्रेम मन्दिर के पास, जबलपुर का नाम त्रुटिवश मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में एवं मेरे बच्चों के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में रेणू अग्रवाल के नाम से चला आ रहा है. जबकि मेरा वास्तविक नाम उषा अग्रवाल है. इस सूचना के द्वारा समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि अब मुझे उषा अग्रवाल के नाम से ही जाना/पहचाना जावे. इस संबंध में मेरे द्वारा समस्त आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण कर दी गई हैं.

पुराना नाम :

(रेणू अग्रवाल)

नया नाम :

(उषा अग्रवाल)
पत्नि रोशन अग्रवाल,
2213, प्रेम मंदिर, राईट टाउन, जबलपुर.

(39-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी 11वीं क्लास की अंकसूची, बीएससी एवं एमएससी की अंकसूची में नाम नवीन कुमार पिता श्री रामप्रकाश दर्ज है एवं सभी अन्य दस्तावेजों जैसे आधारकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, परिचय पत्र इत्यादि में मेरा नाम नवीन कुमार लिटोरिया पिता श्री रामप्रकाश लिटोरिया दर्ज है.

भविष्य में मुझे नवीन कुमार लिटोरिया पिता श्री रामप्रकाश लिटोरिया के नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :

(नवीन कुमार)
पिता श्री रामप्रकाश

नया नाम :

(नवीन कुमार लिटोरिया)
पिता श्री रामप्रकाश लिटोरिया,
निवासी—1, आशीर्वाद अपार्टमेंट,
डॉ. कमला गुप्ता के सामने, प्रेमनगर,
मदनमहल, जबलपुर, मध्यप्रदेश, पिन-482001.

(40-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी 10वीं क्लास की अंकसूची, 11वीं क्लास की अंकसूची एवं बी.कॉम की अंकसूची में नाम गिर्राज प्रसाद दर्ज है एवं सभी अन्य दस्तावेजों जैसे आधारकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, परिचय पत्र इत्यादि में मेरा नाम गिर्राज प्रसाद गुप्ता पिता श्री हरचरन लाल गुप्ता दर्ज है. भविष्य में मुझे गिर्राज प्रसाद गुप्ता पिता श्री हरचरन लाल गुप्ता के नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :

(गिर्राज प्रसाद)
पिता श्री हरचरन लाल

नया नाम :

(गिर्राज प्रसाद गुप्ता)
पिता श्री हरचरन लाल गुप्ता,
निवासी—579, नारायण नगर,
इंदिरा गाँधी वार्ड, गढ़ा,
जबलपुर, मध्यप्रदेश, पिन-482003.

(41-बी.)

सूचना

मैं, अरविन्द मिश्रा पिता श्री जगत नारायण मिश्रा, पार्टनर आदित्य ग्रेनाइट एण्ड स्टोन क्रेशर, ग्राम घटारी, तहसील गौरीहार, जिला छतरपुर (म. प्र.) यह कि मेरी फर्म में पहले से रही पार्टनर श्रीमति सीमा त्रिपाठी पत्नि विनोद त्रिपाठी थी. अतः 09-10-15 से फर्म से अलग कर दिया गया उनकी जगह श्रीमति सम्पत त्रिपाठी W/o बद्री विशाल त्रिपाठी, निवासी खुटाला, बांदा, उ. प्र. है एवं दूसरी पार्टनर उमेश कुमार त्रिपाठी S/o जी. पी. त्रिपाठी, निवासी चौबे कॉलोनी, छतरपुर, म. प्र. की है. जो कि सही और सत्य है.

For—आदित्य ग्रेनाइट एण्ड स्टोन क्रेशर

अरविन्द मिश्रा,
(भागीदार).

(37-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, बडवाहा, जिला खरगोन

प्र. क्र. 02/बी-113(1)/2015-16.

(फार्म-4)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-5 (2) एवं
मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स, 1952 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

समक्ष पंजीयक, लोक न्यास, बडवाहा.

चूंकि प्रार्थी श्री अजितकृष्ण पिता श्री कृष्णाअनन्त तुकदेव, निवासी फ्लेट नंबर-604, सप्तसुर डी. एस. के. विश्व धायरी सिंहगढ़ रोड, पुणे (महाराष्ट्र) की ओर से ''श्री वासुदेवानन्द सरस्वती महाराज श्री दत्त मंदिर तीर नावघाटखेडी बडवाहा ट्रस्ट'' के नाम से कस्बा नावघाटखेडी में ट्रस्ट पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल/अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करे तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अ.क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	राशि
1.	नगद	पंजाब नेशनल बैंक, शाखा बडवाहा.	-	1,73,846-00 रुपये
2.	अचल सम्पत्ति	ग्राम नावघाटखेडी में दत्त मंदिर पक्का.	-	-
3.		ग्राम नावघाटखेडी सेटलमंट नं. 143, खसरा नंबर 262, रकबा 0-12 एकड़ भूमि.	-	-

मधुवतराव धुर्वे,
(295) पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय पंजीयक सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व (महू), डॉ. अम्बेड़कर नगर, जिला इन्दौर

महू, दिनांक 06 अप्रैल, 2016

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

क्र. 717/री.महू./पं.सा.न्या./2015-16.—''लायन्स सेवालय न्यास ट्रस्ट'' पता—301, संकल्प बिल्डिंग, प्लाट नंबर 1, चिनार रेसीडेंसी, किशनगंज, महू, जिला इन्दौर (म.प्र.) की ओर से कार्यकारी न्यासी श्री कुलभूषण मित्तल पिता स्व. श्री ज्ञानचंद जैन व अन्य निवासी 10 ज्ञान्स पार्क, टेलीफोन नगर, कनाडिया रोड, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर

इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

''परिशिष्ट''

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं चल/अचल सम्पत्ति का विवरण)

संस्था का नाम : ''लायन्स सेवालय न्यास ट्रस्ट''.

पता : 301, संकल्प बिल्डिंग, प्लाट नंबर 1, चिनार रेसीडेंसी, किशनगंज, महू, जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश).

अचल सम्पत्ति : निरंक.

चल सम्पत्ति : रुपये 11,000/- अक्षरी (ग्यारह हजार रुपये) मात्र.

आज दिनांक 06 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

संदीप जी. आर.,
I.A.S.
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(296)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, जिला नीमच

दिनांक 01 अप्रैल, 2016

प्रारूप-चार

[नियम-5(1)देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 उपधारा-2 और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

चूंकि श्री दिनेश पिता छगनलाल जी कंकरेचा, म. नं. 544, विकास नगर 14/2, नीमच, जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 02 मई, 2016 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है.

अत: मैं, आदित्य शर्मा, पंजीयक, लोक न्यास नीमच, मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 2 मई, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम व पता : ''श्री कंकरेचा भाईपा परिवार ट्रस्ट'' म. नं. 544, विकासनगर, 14/2, नीमच, जिला नीमच (मध्यप्रदेश).

1. अचल सम्पत्ति : निरंक.

2. चल सम्पत्ति : रु. 5,000/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार मात्र).

आदित्य शर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी.

(297)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर

दिनांक 07 अप्रैल, 2016

रा. प्र. क्र. 304/बी-113/2015-16.

प्रारूप-तृतीय

[नियम-पाँच (1)देखिए]

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत)

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक, पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर, म. प्र. के समक्ष यह कि आवेदक श्री हीरा सिंह मरकाम पिता स्व. श्री देवसाय मरकाम, आयु 72 वर्ष, व्यवसाय समाज सेवा/राजनीति, निवासी ग्राम पो. तिवरता, तहसील पाली, जिला कोरबा, छ. ग. ने लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 19 मई, 2016 को न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या उपरोक्त तारीख के अन्दर व्यक्तिशः अथवा प्लीडर, अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत किसी प्रकार के आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम व पता	:	गोंडवाना सेवा न्यास, अमूरकोट, अमरकंटक ट्रस्ट.
2. चल सम्पत्ति	:	भारतीय स्टेट बैंक, शाखा अमरकंटक, जिला अनूपपुर (मध्यप्रदेश) खाता क्रमांक-34030748378 जमा रुपये 11,000 (ग्यारह हजार रुपये मात्र).
3. अचल सम्पत्ति	:	ग्राम अमरकंटक (जमुनादादर), तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश स्थित आराजी खसरा क्रमांक 352/2, रकबा 1.416 हे.

शिवगोबिन्द मरकाम,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(309)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक 04 अप्रैल, 2016

संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2016/333/खरगोन, दिनांक 01 मार्च, 2016 द्वारा 17 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को परिसमापन में लाया गया था. उक्त आदेश के बिन्दु क्र. 14 पर दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बोरावां का नाम अंकित है.

संस्था के पत्र दिनांक 16 मार्च, 2016 द्वारा अवगत करवाया गया है कि संस्था कार्यशील होकर कार्य कर रही है एवं संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था को परिसमापन की कार्यवाही से मुक्त किया जाने हेतु अनुरोध किया है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत उक्त समिति का परिसमापन का उक्त आदेश एतद्द्वारा रद्द करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(298)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बलवाड़ा, तहसील बडवाह, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक/एन.एम.आर. (के. आर. जी. एम.) 632, दिनांक 20 दिसम्बर, 1983 को कार्यालयीन आदेश क्र. 641, दिनांक 08 फरवरी, 2006 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक द्वारा पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर निरंक स्थिति विवरण पत्रक के साथ अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 फरवरी, 2016 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 29 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(298-A)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी

सीधी, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/255.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पोखडौर, जिला सीधी जिसका पंजीयन क्रमांक/ DR/SDH/1250, दिनांक 11 नवम्बर, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, जी. पी. सोनकुसरे, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के तहत पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5/1/99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था के निगम निकाय (बाडी-कारपोरेट) को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(299)

सीधी, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/256.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमरपुर, जिला सीधी जिसका पंजीयन क्रमांक/ DR/SDH/1277, दिनांक 04 दिसम्बर, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, जी. पी. सोनकुसरे, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के तहत पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5/1/99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था के निगम निकाय (बाडी-कारपोरेट) को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(299-A)

सीधी, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/257.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सरदा, जिला सीधी जिसका पंजीयन क्रमांक/ DR/SDH/1237, दिनांक 11 नवम्बर, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, जी. पी. सोनकुसरे, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के तहत पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5/1/99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था के निगम निकाय (बाडी-कारपोरेट) को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(299-B)

सीधी, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/258.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेलहा, जिला सीधी जिसका पंजीयन क्रमांक/ DR/SDH/1263, दिनांक 18 नवम्बर, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, जी. पी. सोनकुसरे, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के तहत पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5/1/99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था के निगम निकाय (बाडी-कारपोरेट) को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(299-C)

सीधी, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/259.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चंदवाही, जिला सीधी जिसका पंजीयन क्रमांक/ DR/SDH/1172, दिनांक 29 सितम्बर, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, जी. पी. सोनकुसरे, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के तहत पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5/1/99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था के निगम निकाय (बाडी-कारपोरेट) को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(299-D)

सीधी, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/260.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बहरी, जिला सीधी जिसका पंजीयन क्रमांक/ DR/SDH/1184, दिनांक 22 सितम्बर, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सर्म्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, जी. पी. सोनकुसरे, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के तहत पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5/1/99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था के निगम निकाय (बाडी-कारपोरेट) को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(299-E)

सीधी, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/261.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शैरपुर, जिला सीधी जिसका पंजीयन क्रमांक/ DR/SDH/1236, दिनांक 11 नवम्बर, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, जी. पी. सोनकुसरे, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के तहत पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5/1/99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था के निगम निकाय (बाडी-कारपोरेट) को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(299-F)

सीधी, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/262.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पोखरा, जिला सीधी जिसका पंजीयन क्रमांक/ DR/SDH/1278, दिनांक 04 दिसम्बर, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, जी. पी. सोनकुसरे, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के तहत पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5/1/99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था के निगम निकाय (बाडी-कारपोरेट) को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जी. पी. सोनकुसरे,
उप-रजिस्ट्रार.

(299-G)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 02 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/556.—श्री मणीभद्र वीर साख सहकारी संस्था मर्या., बदनावर, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 1590, दिनांक 13 अप्रैल, 2015 है. कार्यालयीन जानकारी अनुसार संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में संचालक मण्डल के निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराये गये. संस्था द्वारा संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहुत नहीं की जा रही है तथा संस्था पंजीकृत पते पर भी कार्यरत नहीं है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है. इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. जिससे उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होगा.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मणीभद्र वीर साख सहकारी संस्था मर्या., बदनावर को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

ओ. पी. गुप्ता,
उप-रजिस्ट्रार.

(300)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार

धार, दिनांक 01 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57 (1)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू.-1.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समिति को परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	नर्मदा साख सहकारी संस्था मर्या. मनावर	1484/08-01-2014	25/04-01-2016

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 के उपनियम-57 (1)(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समिति के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 फरवरी, 2016 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

के. के. जमरे,
परिसमापक एवं व.स.नि.

(301)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 02 अप्रैल, 2016

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहक्रारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

श्री एन. पी. शर्मा, प्रशासक एवं अंकेक्षण अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 27 फरवरी, 2016 में लेख किया है कि जिला सहकारी भूमि विकास बैंक कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा पूर्णत: अक्रियाशील संस्था है तथा निर्वाचन कराने में पदाधिकारियों की कोई रुचि नहीं है. प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का लेख किया है.

प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (ए/क), (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, जिला सहकारी भूमि विकास बैंक कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही. डी. एस./325, दिनांक 07 मई, 1988 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त सहकारिता विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को जारी करता हूँ.

(302)

विदिशा, दिनांक 02 अप्रैल, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

श्री एन. पी. शर्मा, प्रशासक एवं अंकेक्षण अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 27 फरवरी, 2016 में लेख किया है कि परशुराम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा अक्रियाशील है तथा निर्वाचन कराने में पदाधिकारियों की कोई रुचि नहीं है. प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का लेख किया है.

प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (ए/क), (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, परशुराम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा , पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही. डी. एस./307, दिनांक 22 मई, 1987 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त सहकारिता विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को जारी करता हूँ.

(302-A)

विदिशा, दिनांक 02 अप्रैल, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

श्री एम. एस. भदौरिया, प्रशासक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, नटेरन ने अपने पत्र दिनांक 26 फरवरी, 2016 में लेख किया है कि जयश्री प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, शमशाबाद, जिला विदिशा पंजीयन के कुछ समय बाद से ही अक्रियाशील है तथा निर्वाचन कराने का व्यय भी भंडार के पास नहीं है. भंडार का अंकेक्षण भी नहीं हुआ है. प्रशासक द्वारा भंडार को परिसमापन में लाये जाने का लेख किया है.

प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (ए/क), (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, जयश्री प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, शमशाबाद, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही. डी. एस./750, दिनांक26 अक्टूबर, 2009 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त सहकारिता विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को जारी करता हूँ.

(302-B)

विदिशा, दिनांक 02 अप्रैल, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

श्री के. एम. अग्रवाल, प्रशासक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक ने अपने पत्र दिनांक 10 जुलाई, 2015 में लेख किया है कि माँ हरसिद्धी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, कुल्हार, तहसील बासौदा, जिला विदिशा के अध्यक्ष द्वारा बतलाया गया कि संस्था पंजीयन दिनांक से बंद है. पंजीयन के उपरांत कोई कारोबार नहीं किया गया है. वर्तमान में संस्था का रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जावे. प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का लेख किया है.

प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (ए/क), (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, माँ हरसिद्धी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, कुल्हार, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही. डी. एस./692, दिनांक 23 जुलाई, 2004 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त सहकारिता विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को जारी करता हूँ.

(302-C)

विदिशा, दिनांक 02 अप्रैल, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

श्री पी. एस. रघुवंशी, प्रशासक एवं सहकारी निरीक्षक ने अपने पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 2015 में लेख किया है कि लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, मूडरा मेवली, तहसील बासौदा, जिला विदिशा के अध्यक्ष से संस्था का चार्ज लेने हेतु दो बार चर्चा होने के उपरांत भी संस्था का चार्ज नहीं दिया जा रहा है. प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की है.

प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, मूडरा मेवली, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही. डी. एस./680, दिनांक 28 अप्रैल, 2004 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त सहकारिता विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को जारी करता हूँ.

(302-D)

विदिशा, दिनांक 02 अप्रैल, 2016

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

श्री अनिल सक्सेना, प्रशासक एवं उप-अंकेक्षक ने अपने पत्र दिनांक निल में लेख किया है कि मेरे द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है, परन्तु जल क्षेत्रीय भोई समाज सहकारी संस्था मर्यादित, सिरोंज संस्था का रिकॉर्ड आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हो सका है. संस्था के पूर्व अध्यक्ष विनय सिंह द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया है कि उनके पास एक कार्यवाही पुस्तिका के अतिरिक्त कोई रिकॉर्ड पूर्व अध्यक्ष द्वारा नहीं दिया. संस्था के पूर्व अध्यक्ष बालकिशन से भी सम्पर्क किया गया उन्होंने भी लिखकर दिया कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है. संस्था का रिकॉर्ड अप्राप्त होने से संस्था का निर्वाचन प्रारंभ करना संभव नहीं है.

प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, जल क्षेत्रीय भोई समाज सहकारी संस्था मर्यादित, सिरोंज, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही. डी. एस./235, दिनांक 12 मई, 1981 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त सहकारिता विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को जारी करता हूँ.

(302-E)

विदिशा, दिनांक 02 अप्रैल, 2016

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

श्री आर. के. कटारे, प्रशासक एवं सहकारी निरीक्षक ने अपने पत्र दिनांक 06 जुलाई, 2015 में लेख किया है कि श्री जगदीश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मानोरा, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा के पूर्व अध्यक्ष श्री चंदन सिंह रघुवंशी से संस्था का चार्ज लेने हेतु प्रयास किया किन्तु संस्था का चार्ज नहीं मिल सका. संस्था की सहकारिता विधान के पालन करने में तथा निर्वाचन कराने में कोई रूचि नहीं है. गत अंकेक्षण टीपों का अवलोकन करने से संस्था दो वर्षों से पूर्णत: अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें.

प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (ए/क), (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, श्री जगदीश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मानोरा, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही. डी. एस./738, दिनांक 04 अक्टूबर 2008 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त सहकारिता विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को जारी करता हूँ.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(302-F)

कार्यालय सहायक-पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, जिला पन्ना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1503, दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 के द्वारा ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मझगवां (कोठी), तहसील-पबई, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./530, दिनांक 29 अप्रैल, 2003 है. को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अनतर्गत श्री पी. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. अतः संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग (मंत्रालय) की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, जिला पन्ना, ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मझगवां (कोठी), तहसील-पबई, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कॉरपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(303)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1274, दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 के द्वारा कृषि उत्पादक एवं बीजोत्पादक सहकारी समिति मर्या., पुरूषोत्तमपुरा, तहसील-पन्ना, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./617, दिनांक 06 जनवरी, 2005 है. को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अनतर्गत श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. अतः संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग (मंत्रालय) की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, जिला पन्ना, कृषि उत्पादक एवं बीजोत्पादक सहकारी समिति मर्या., पुरूषोत्तमपुरा, तहसील पन्ना, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कॉरपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी. एस. आठिया,
सहायक-पंजीयक.

(303-A)

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 06 अप्रैल, 2016

क्र./परि./2016/694.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./551, दिनांक 11 मार्च, 2016 द्वारा प्राथमिक ईंधन सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-69 (1) के अन्तर्गत प्राथमिक ईंधन सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 542, दिनांक 04 मार्च, 2008 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आनंद कुमार पाराशर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(305)

शिवपुरी, दिनांक 06 अप्रैल, 2016

क्र./परि./2016/695.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./552, दिनांक 11 मार्च, 2016 द्वारा ढीमर बाबा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सेमरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत ढीमर बाबा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सेमरी जिसका पंजीयन क्रमांक 594, दिनांक 11 जनवरी, 2013 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री डी. पी. राठौर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(305-A)

शिवपुरी, दिनांक 06 अप्रैल, 2016

क्र./परि./2016/696.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./507, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा साईं बाबा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत साईं बाबा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 197, दिनांक 26 अक्टूबर, 1988 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री सी. एल. मौर्य, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(305-B)

शिवपुरी, दिनांक 06 अप्रैल, 2016

क्र./परि./2016/697.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./506, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा स्टील उद्योग सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत स्टील उद्योग सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 512, दिनांक 20 जून, 2005 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री ए. के. पाराशर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(305-C)

शिवपुरी, दिनांक 06 अप्रैल, 2016

क्र./परि./2016/698.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./500, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अर्जुनगवां को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित

होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अर्जुनगवां जिसका पंजीयन क्रमांक 252, दिनांक 08 मार्च, 1990 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री मुकेश सक्सेना, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(305-D)

शिवपुरी, दिनांक 06 अप्रैल, 2016

क्र./परि./2016/699.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./501, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गढ़ीबरोद को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गढ़ीबरोद जिसका पंजीयन क्रमांक 297, दिनांक 20 सितम्बर, 1994 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आनंद पाराशर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(305-E)

शिवपुरी, दिनांक 06 अप्रैल, 2016

क्र./परि./2016/700.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./502, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा राजीव गांधी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., नरवर को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत राजीव गांधी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., नरवर जिसका पंजीयन क्रमांक 302, दिनांक 03 जनवरी, 1995 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(305-F)

शिवपुरी, दिनांक 06 अप्रैल, 2016

क्र./परि./2016/701.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./503, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा सिरोमन बाबा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., गूड़र को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत सिरोमन बाबा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., गूड़र जिसका पंजीयन क्रमांक 556, दिनांक 29 अक्टूबर, 2009 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री विजय कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(305-G)

शिवपुरी, दिनांक 06 अप्रैल, 2016

क्र./परि./2016/702.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./504, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा मछुआरा सहकारी संस्था मर्या., पारागढ़ को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मछुआरा सहकारी संस्था मर्या., पारागढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 626, दिनांक 04 जून, 2014 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(305-H)

शिवपुरी, दिनांक 06 अप्रैल, 2016

क्र./परि./2016/703.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./499, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करसेना को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करसेना जिसका पंजीयन क्रमांक 191, दिनांक 16 मार्च, 1988 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री ए. के. पाराशर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(305-I)

शिवपुरी, दिनांक 06 अप्रैल, 2016

क्र./परि./2016/704.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./521, दिनांक 10 मार्च, 2016 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., दाबर अली को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है, अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., दाबर अली जिसका पंजीयन क्रमांक 475, दिनांक 13 मार्च, 2003 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री चमन सिंह, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(305-J)

शिवपुरी, दिनांक 06 अप्रैल, 2016

क्र./परि./2016/705.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./522, दिनांक 10 मार्च, 2016 द्वारा रामसती मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., ऑढर को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-69 (1) के अन्तर्गत रामसती मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., ऑढर जिसका पंजीयन क्रमांक 441, दिनांक 16 मार्च, 1999 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री चमन सिंह, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(305-K)

शिवपुरी, दिनांक 06 अप्रैल, 2016

क्र./परि./2016/706.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./523, दिनांक 10 मार्च, 2016 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मायारामपुरा को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मायारामपुरा जिसका पंजीयन क्रमांक 457, दिनांक 09 अगस्त, 2001 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(305-L)

शिवपुरी, दिनांक 06 अप्रैल, 2016

क्र./परि./2016/707.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./527, दिनांक 10 मार्च, 2016 द्वारा मुस्कान ईंधन सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मुस्कान ईंधन सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 543, दिनांक 04 जुलाई, 2008 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(305-M)

शिवपुरी, दिनांक 06 अप्रैल, 2016

क्र./परि./2016/708.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./528, दिनांक 10 मार्च, 2016 द्वारा महाबली खदान/खनिज मजदूर सहकारी संस्था मर्या., पिछोर को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महाबली खदान/खनिज मजदूर सहकारी संस्था मर्या., पिछोर जिसका पंजीयन क्रमांक 560, दिनांक 05 जनवरी, 2010 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री डी. के. मड़ोइया, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(305-N)

शिवपुरी, दिनांक 06 अप्रैल, 2016

क्र./परि./2016/709.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./526, दिनांक 10 मार्च, 2016 द्वारा राधाकृष्ण प्रिंटिंग एवं प्रकाशन सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने

से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत राधाकृष्ण प्रिंटिंग एवं प्रकाशन सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 569, दिनांक 24 मई, 2011 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(305-O)

शिवपुरी, दिनांक 06 अप्रैल, 2016

क्र./परि./2016/710.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./529, दिनांक 10 मार्च, 2016 द्वारा श्रीराम मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., तिजारपुर को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्रीराम मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., तिजारपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 587, दिनांक 16 सितम्बर, 2011 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री डी. के. मड़ोइया, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(305-P)

शिवपुरी, दिनांक 06 अप्रैल, 2016

क्र./परि./2016/711.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./530, दिनांक 10 मार्च, 2016 द्वारा मछुआ सहकारी संस्था मर्या., पिपराय को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मछुआ सहकारी संस्था मर्या., पिपराय जिसका पंजीयन क्रमांक 559, दिनांक 10 जनवरी, 2010 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(305-Q)

शिवपुरी, दिनांक 06 अप्रैल, 2016

क्र./परि./2016/712.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./532, दिनांक 10 मार्च, 2016 द्वारा भीमराव अम्बेडकर मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., नया अमोला क्रमांक-2 को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत भीमराव अम्बेडकर मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., नया अमोला क्रमांक-2 जिसका पंजीयन क्रमांक 627, दिनांक 13 अगस्त, 2014 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री चमन सिंह, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(305-R)

शिवपुरी, दिनांक 06 अप्रैल, 2016

क्र./परि./2016/713.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./525, दिनांक 10 मार्च, 2016 द्वारा क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., करैरा को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., करैरा जिसका पंजीयन क्रमांक 563, दिनांक 24 अप्रैल, 2010 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री चमन सिंह, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(305-S)

शिवपुरी, दिनांक 06 अप्रैल, 2016

क्र./परि./2016/714.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./533, दिनांक 10 मार्च, 2016 द्वारा जय माँ कैलादेवी अ.जा. मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कांठी नया अमोला क्रमांक-4 को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत जय माँ कैलादेवी अ.जा. मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कांठी नया अमोला क्रमांक-4 जिसका पंजीयन क्रमांक 588, दिनांक 19 अगस्त, 2011 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री चमन सिंह, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(305-T)

शिवपुरी, दिनांक 06 अप्रैल, 2016

क्र./परि./2016/715.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./534, दिनांक 10 मार्च, 2016 द्वारा अ.जा. मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कसेरा झालोनी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत अ.जा. मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कसेरा झालोनी जिसका पंजीयन क्रमांक 311, दिनांक 13 फरवरी, 1995 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री विजय कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(305-U)

शिवपुरी, दिनांक 06 अप्रैल, 2016

क्र./परि./2016/716.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./531, दिनांक 10 मार्च, 2016 द्वारा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कलोथरा को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कलोथरा जिसका पंजीयन क्रमांक 555, दिनांक 01 अक्टूबर, 2009 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री चमन सिंह, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(305-V)

शिवपुरी, दिनांक 06 अप्रैल, 2016

क्र./परि./2016/717.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./524, दिनांक 10 मार्च, 2016 द्वारा धाय महादेव बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खोड़ को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत धाय महादेव बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खोड़ जिसका पंजीयन क्रमांक 596, दिनांक 06 फरवरी, 2013 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री डी. के. मड़ोइया, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

एस. के. सिंह,
उप-पंजीयक.

(305-W)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

जामनेर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जामनेर,

पंजी. 1199, दिनांक 08-10-2015.

द्वारा— दुग्ध शीत केन्द्र, गुना/लटेरी/भोपाल.

क्र./विधि/2016/341—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे?

प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(306)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

गणेशपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गणेशपुरा, राघौगढ़,

पंजी. 1198, दिनांक 08-10-2015.

द्वारा— दुग्ध शीत केन्द्र, गुना/लटेरी/भोपाल.

क्र./विधि/2016/342—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(306-A)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खुटियारी,

पंजी. 746, दिनांक 09-03-1995.

द्वारा— दुग्ध शीत केन्द्र, गुना/लटेरी/भोपाल.

क्र./विधि/2016/343—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था

संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(306-B)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नानाखेडी,

पंजी. 1187, दिनांक 11-11-2014.

द्वारा— दुग्ध शीत केन्द्र, गुना/लटेरी/भोपाल.

क्र./विधि/2016/344—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण

में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(306-C)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कंजलिया,

पंजी. 1183, दिनांक 20-10-2014.

द्वारा— दुग्ध शीत केन्द्र, गुना/लटेरी/भोपाल.

क्र./विधि/2016/345—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(306-D)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ग्वारखेडा,

पंजी. 1180, दिनांक 20-10-2014.

द्वारा— दुग्ध शीत केन्द्र, गुना/लटेरी/भोपाल.

क्र./विधि/2016/346—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था

संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(306-E)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मधुसूदनगढ़,

पंजी. 1179, दिनांक 20-10-2014.

द्वारा— दुग्ध शीत केन्द्र, गुना/लटेरी/भोपाल.

क्र./विधि/2016/347—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि

समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(306-F)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिंगापुरा,

पंजी. 1137, दिनांक 24-10-2008.

द्वारा— दुग्ध शीत केन्द्र, गुना/लटेरी/भोपाल.

क्र./विधि/2016/348—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(306-G)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., प्रेमगढ़,

पंजी. 959, दिनांक 12-08-2002.

द्वारा— दुग्ध शीत केन्द्र, गुना/लटेरी/भोपाल.

क्र./विधि/2016/349—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था

संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(306-H)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पगारा,

पंजी. 1105, दिनांक 03-07-2006.

द्वारा— दुग्ध शीत केन्द्र, गुना/लटेरी/भोपाल.

क्र./विधि/2016/350—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि

समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(306-I)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमोदा,

पंजी. 781, दिनांक 31-03-2005.

द्वारा— दुग्ध शीत केन्द्र, गुना/लटेरी/भोपाल.

क्र./विधि/2016/351—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(306-J)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भादौर,

पंजी. 945, दिनांक 08-05-2002.

द्वारा— दुग्ध शीत केन्द्र, गुना/लटेरी/भोपाल.

क्र./विधि/2016/352—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था

संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(306-K)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पाली,

पंजी. 946, दिनांक 08-05-2002.

द्वारा— दुग्ध शीत केन्द्र, गुना/लटेरी/भोपाल.

क्र./विधि/2016/353—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि

समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(306-L)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भूमलाखेड़ी,

पंजी. 771, दिनांक 30-03-1995.

द्वारा— दुग्ध शीत केन्द्र, गुना/लटेरी/भोपाल.

क्र./विधि/2016/354—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(306-M)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करोदिया,

पंजी. 1132, दिनांक 06-08-2008.

द्वारा— दुग्ध शीत केन्द्र, गुना/लटेरी/भोपाल.

क्र./विधि/2016/355—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था

संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(306-N)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, गुन्ना,

पंजी. 17, दिनांक 18-10-1966.

क्र./विधि/2016/356—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण

में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(306-O)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

डॉ. अम्बेड़कर साख सहकारी संस्था मर्या., पगारा गुना,

पंजी. 1216, दिनांक 22-01-2016.

क्र./विधि/2016/358—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उपेन्द्रसिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(306-P)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

शासकीय अधिकारी कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या., कलेक्ट्रेट, गुना,

पंजी. 1214, दिनांक 14-10-2015.

क्र./विधि/2016/359—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था

संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अत: मैं, उपेन्द्रसिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(306-Q)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

बंदना कॉन्वेंट सहकारी स्टोर संस्था मर्या., गुना,

पंजी. 1213, दिनांक 14-10-2015.

क्र./विधि/2016/360—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अत: मैं, उपेन्द्रसिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण

में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(306-R)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

माँ गायत्री केन्टीन सहकारी संस्था मर्या., हनुमान चौराहा, गुना,

पंजी. 1212, दिनांक 14-10-2015.

क्र./विधि/2016/361—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उपेन्द्रसिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आक्षेप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(306-S)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., गुना,

पंजी. 1211, दिनांक 14-10-2015.

क्र./विधि/2016/362—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था

संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(306-T)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

सिदेश्वर साख सहकारी संस्था मर्या., जगदीश कॉलोनी, गुना,

पंजी. 1210, दिनांक 14-10-2015.

क्र./विधि/2016/363—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अत: मैं, उपेन्द्रसिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण

में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(306-U)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

सफाई कामगार सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था मर्या., राधौगढ़,

पंजी. 1209, दिनांक 14-10-2015.

क्र./विधि/2016/364—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अत: मैं, उपेन्द्रसिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(306-V)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

अनुसूचित जाति सफाई कामगार सहकारी संस्था राधौगढ़,

पंजी. 1164, दिनांक 16-05-2012.

क्र./विधि/2016/365—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था

संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध है.

अत: मैं, उपेन्द्रसिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(306-W)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

मॉ गायत्री उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., गुर्ना,

पंजी. 1208, दिनांक 14-10-2015.

क्र./विधि/2016/366—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अत: मैं, उपेन्द्रसिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे?

प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(306-X)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

होमगार्ड वेलफेयर सहकारी संस्था मर्या., गुना,

पंजी. 1207, दिनांक 14-10-2015.

क्र./विधि/2016/367—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अत: मैं, उपेन्द्रसिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(306-Y)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

बंसुधरा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., गुना,

पंजी. 1206, दिनांक 14-10-2015.

क्र./विधि/2016/368—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था

संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अत: मैं, उपेन्द्रसिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(306-Z)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

पुलिस वेलफेयर कंजूमर्स सहकारी संस्था, गुना,

पंजी. 1205, दिनांक 14-10-2015.

क्र./विधि/2016/369—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अत: मैं, उपेन्द्रसिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण

में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(307)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

किसान विकास साख सहकारी संस्था मर्या., गुना

पंजी. 1203, दिनांक 14-10-2015.

क्र./विधि/2016/370—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(307-A)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

पं. दीनदयाल वारदाना क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., गुना.

पंजी. 1201, दिनांक 14-10-2015.

क्र./विधि/2016/371—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था

संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(307-B)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बिसोनिया,

पंजी. 1030, दिनांक 09-09-2004.

क्र./विधि/2016/372—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण

में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(307-C)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

मछुआ सहकारी संस्था मर्या., सुन्दरपुरा,

पंजी. 1193, दिनांक 26-08-2015.

क्र./विधि/2016/373—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(307-D)

दिनांक 22 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

अनुसूचित जाति मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., लहरचा चांचौडा,

पंजी. 1161, दिनांक 06-04-2011.

क्र./विधि/2016/374—आपकी संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसे आगे संस्था

संबोधित किया जावेगा. संस्था के कार्यसंचालन में असफल रहने से संस्था को निम्नानुसार आरोपित किया जाता है.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अत: मैं, उपेन्द्रसिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

उपेन्द्रसिंह,
उप-पंजीयक.

(307-E)

कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला दमोह

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/299.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मड़लारामकुटी, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 750, दिनांक 21 मार्च, 2012 है, दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू./दु.शी.के./10, हटा, दिनांक 13 जनवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रूचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/44, दिनांक 25 जनवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रूचि नहीं है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मड़लारामकुटी, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 750, दिनांक 21 मार्च, 2012 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 216 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(310)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/300.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महंतपुर, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 716, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू./दु.शी.के./10, हटा, दिनांक 13 जनवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षो से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रूचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/44, दिनांक 25 जनवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रूचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महंतपुर, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 716, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 216 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(310-A)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/301.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विलाई, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 753, दिनांक 21 मार्च, 2012 है, दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू./दु.शी.के./10, हटा, दिनांक 13 जनवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षो से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रूचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/44, दिनांक 25 जनवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रूचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विलाई, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 753, दिनांक 21 मार्च, 2012 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 216 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(310-B)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/302.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कादीपुर, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 718, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./10, हटा, दिनांक 13 जनवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रूचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/44, दिनांक 25 जनवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रूचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कादीपुर, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 718, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 216 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(310-C)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/303.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मिलौनी, विकासखण्ड बटियागढ़, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 637, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 है, दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रूचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रूचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मिलौनी, विकासखण्ड बटियागढ़, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 637, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 216 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(310-D)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/304.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हारट, विकासखण्ड बटियागढ़, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 643, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 है, दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रूचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रूचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हारट, विकासखण्ड बटियागढ़, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 643, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 216 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(310-E)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/305.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कांटी, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 685, दिनांक 06 नवम्बर, 2011 है, दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रूचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रूचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कांटी, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 685, दिनांक 06 नवम्बर, 2011 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 216 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(310-F)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/306.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पाठा, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 693, दिनांक 06 नवम्बर, 2011 है, दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पाठा, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 693, दिनांक 06 नवम्बर, 2011 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(310-G)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/307.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वर्धापौडी, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 723, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वर्धापौडी, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 723, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(310-H)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/308.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रमपुरा धर्मपुरा, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 721, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रमपुरा धर्मपुरा, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 721, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(310-I)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/309.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विजवार, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 712, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विजवार, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 712, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(310-J)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/310.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पाली, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 705, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पाली, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 705, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(310-K)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/311.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तेवरईया, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 719, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तेवरईया, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 719, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(310-L)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/312.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उदयपुरापुरेना, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 706, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उदयपुरापुरेना, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 706, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(310-M)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/313.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवरी, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 634, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 है, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवरी, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 634, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(310-N)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/314.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महुआखेड़ा, विकासखण्ड बटियागढ़, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 689, दिनांक 11 जून, 2011 है, दुग्ध शीत केन्द्र,, हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महुआखेड़ा, विकासखण्ड बटियागढ़, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 689, दिनांक 11 जून, 2011 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र,, हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(310-O)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/315.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरोदकलां, विकासखण्ड बटियागढ़, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 754, दिनांक 21 मार्च, 2012 है, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरोदकलां, विकासखण्ड बटियागढ़, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 754, दिनांक 21 मार्च, 2012 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(310-P)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/316.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बमुरिया, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 678, दिनांक 06 नवम्बर, 2011 है, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बमुरिया, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 678, दिनांक 06 नवम्बर, 2011 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(310-Q)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/317.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुआरी, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 692, दिनांक 11 जून, 2011 है, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुआरी, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 692, दिनांक 11 जून, 2011 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा द्वारा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(310-R)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/318.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पटना, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 696, दिनांक 11 जून, 2011 है, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पटना, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 696, दिनांक 11 जून, 2011 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा द्वारा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(310-S)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/319.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बमनपुरा, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 720, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बमनपुरा, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 720, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा द्वारा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(310-T)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/320.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., राजाबंदी, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 725, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., राजाबंदी, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 725, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा द्वारा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(310-U)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/321.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भरतला, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 702, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भरतला, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 702, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा द्वारा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(310-V)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/322.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पड़रीसहजपुर, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 717, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पड़रीसहजपुर, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 717, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(310-W)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/323.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मझगुंवा पतोल, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 734, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मझगुंवा पतोल, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 734, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(310-X)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/324.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पालर, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 690, दिनांक 06 नवम्बर, 2011 है, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पालर, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 690, दिनांक 06 नवम्बर, 2011 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(310-Y)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/325.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुड़िया, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 714, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुड़िया, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 714, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(310-Z)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/326.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरी, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 715, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरी, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 715, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र,, हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(311)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/327.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खजरी, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 704, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खजरी, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 704, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(311-A)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/328.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढिगसर, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 727, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढिगसर, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 727, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(311-B)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/329.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मारासूरी, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 737, दिनांक 21 मार्च, 2012 है, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मारासूरी, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 737, दिनांक 21 मार्च, 2012 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(311-C)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/330.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., आनू, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 752, दिनांक 21 मार्च, 2012 है, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी,2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., आनू, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 752, दिनांक 21 मार्च, 2012 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(311-D)

दमोह, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/331.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पायराखेड़ी, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 749, दिनांक 21 मार्च, 2012 है, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू.1/दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत् 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/81, दिनांक 05 फरवरी, 2016 जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पायराखेड़ी, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्रमांक 749, दिनांक 21 मार्च, 2012 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

डी. के. त्रिपाठी,
सहायक पंजीयक.

(311-E)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 अप्रैल 2016-वैशाख 9, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2015

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के अनूपपुर जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**— जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, सागर, दमोह, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, शाजापुर, बड़वानी, जबलपुर, कटनी, डिण्डोरी, सिवनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला अनूपपुर में फसल गेहूँ व सिंगरौली में राई-सरसों, गेहूँ व श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, गुना, सागर, दमोह, रीवा, उमरिया, सीधी, शाजापुर, धार, खरगौन, बड़वानी, बुरहानपुर, भोपाल, जबलपुर, नरसिंहपुर, डिण्डोरी व सिवनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.—**

5. **कटाई.**—जिला सिवनी में फसल, तुअर व सीधी में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सिंगरौली, नीमच, झाबुआ, बड़वानी, सिवनी व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2015

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अम्बाह	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..		4. (1) तुअर, मक्का, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	..				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई- सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	..		4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	..				
4. घाटीगांव	..				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	..		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना, सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	..				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, धनिया, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना, राई-सरसों,मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		मटर.	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .		(2) . .		
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	. .		4. (1) तिल-अधिक. तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		अलसी, मसूर, मटर, आलू,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		प्याज.		
4. पवई	. .		(2) . .		
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .	चालू है.	4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज.	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		(2) . .		
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) चना, मसूर अधिक. तुअर, गेहूँ, अलसी,सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) चना, जौ, राई-सरसों अधिक. गेहूँ कम. मसूर, अलसी, अरहर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		(2) . .		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हुजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) धान, मक्का, चना, कोदों-कुटकी, सोयाबीन, तुअर, उड़द, राई-सरसों, मसूर, मटर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) चना अधिक. धान, तुअर, को. कु., राई, अलसी, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. अनूपपुर	1.0		(2) . .		
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	1.0				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) ज्वार, को. कु., मूँगफली, तुअर, बाजरा, अधिक. धान, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) . .		
3. मानपुर	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों की बोनी व खरीफ की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1)राई-सरसों, गेहूँ कम. चना, अलसी, मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) . .		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं राई-सरसों, गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) चना, जौ अधिक. अलसी, गेहूँ कम. मसूर,राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) चना, सरसों अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुन्धड़का	. .				
9. संजीत	. .				
10.कयामपुर	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) राई-सरसों, मसूर, मटर अधिक. गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
***जिला आगर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास, मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोबट	. .		4. (1) ज्वार, कपास, तुअर.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोण्डवा	. .				
5. भामरा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) सोयाबीन अधिक. कपास, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .		(2) . .		
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		अलसी, राई-सरसों अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	. .		ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना कम.		
4. खरगौन	. .		(2) . .		
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
***जिला खण्डवा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, मूँगफली.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
***जिला राजगढ़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. उरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, तिवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		तुअर अधिक.	चारा पर्याप्त.	
			(2) . .		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) तुअर, उड़द, मूंग अधिक. धान कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		गेहूँ, मक्का, चना, मसूर, तिल, मटर,	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		लाख समान.		
4. गौहरगंज	. .		(2) . .		
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
***जिला बैतूल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. भैंसदेही	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) . .		
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) चना, तुअर, मटर, मसूर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		गेहूँ, समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .		(2) . .		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .	कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, मटर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		मसूर, मटर.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघौगढ़	. .		(2) . .		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..		4. (1) सोयाबीन, धान, गन्ना, मूंग, चना, मटर, मसूर अधिक. तुअर कम. उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) तुअर, कोदों कुटकी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	3.2		4. (1) कोदों कुटकी,तुअर राम-तिल, राई-सरसों, अलसी,गेहूँ, चना, मसूर, मटर, लाख.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बजाग	..		(2) ..		
3. शाहपुरा	..				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) ..		
3. परासिया	..				
4. तामिया	..				
5. सौंसर	..				
6. पांढुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. चांद	..				
10. बिछुआ	..				
11. हर्रई	..				
12. बोलखेड़ा	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व तुअर की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) गेहूँ, जौ, राजगिर, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, उड़द, मूंग, अरण्डी,राई-सरसों, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		(2) ..		
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) ..		
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला आगर, खण्डवा, राजगढ़, बैतूल से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(308)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016.